

श्री जय सिंह, भा0प्र0से0, जिलाधिकारी, खगड़िया की अध्यक्षता में दिनांक 24.07.2017 को आयोजित महत्वपूर्ण कार्यों की समीक्षा बैठक की कार्यवाही ।

क्र0	महत्वपूर्ण कार्य	अनुपालन के बिन्दु	अनुपालन पदाधिकारी
1	2	3	4
1	लंबित DC Bill व उपयोगिता प्रमाण-पत्र (राजस्व), अन्य	समीक्षा के क्रम में कोषागार पदाधिकारी, खगड़िया ने बताया कि कुछ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2003-04 का डी0सी0 विपत्र समर्पित किया गया था जबकि उस समय कोषागार के स्तर से कार्य नहीं होता था। इसके अलावे अन्य निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा 11 डी0सी0 विपत्र उपलब्ध कराये गये हैं जिसका समायोजन की कार्यवाही की जा रही है। सभी कार्यालय प्रधान को निर्देशित किया गया कि अपने विभाग से संबंधित लंबित डी0सी विपत्र/उपयोगिता प्रमाण-पत्र अविलम्ब भेजना सुनिश्चित करेंगे।	अपर समाहर्ता/सभी संबंधित पदाधिकारी
2	सर्व व Land record के कम्प्यूटरीकरण की प्रगति MIS पर Entry Website पर प्रकाशन (Reg-2)	प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा, खगड़िया द्वारा बताया गया कि खगड़िया अंचल के जमाबन्दी इन्ट्री का कार्य 3 मई 2017 से चल रहा है। कुल 51 मौजा में से 31 मौजे कर इन्ट्री कार्य पूर्ण कर लिया गया है। अब तक 112659 जमाबन्दी में से 53568 जमाबन्दी का इन्ट्री कार्य पूर्ण हो चुका है। प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा को निदेश दिया गया कि इन्ट्री कार्य में तेजी लाना सुनिश्चित करें।	अपर समाहर्ता/प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा
3	गोगरी अनुमंडल एवं व्यवहार न्यायालय का संयुक्त कार्यालय भवन हेतु भू-अर्जन प्रतिवेदन (GAD)	गत बैठक में अपर समाहर्ता, खगड़िया द्वारा बताया गया था कि व्यवहार न्यायालय, गोगरी कार्यालय भवन के निर्माण हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी से प्राप्त प्रस्ताव को जिला एवं सत्र न्यायाधीश को सहमति के लिए भेजा गया था जो अबतक अप्राप्त है। प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व को निदेश दिया गया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश को मंतव्य देने हेतु अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर से स्मार पत्र आज ही निर्गत करना सुनिश्चित करें।	अपर समाहर्ता/प्रभारी पदाधिकारी जिला राजस्व
4	खगड़िया-कुशेश्वर स्थान रेल लाईन हेतु भूमि का संयुक्त निरीक्षण तेज करना (3.5 KM समस्याग्रस्त)	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, खगड़िया को निदेश दिया गया कि इस मामले में तेजी लाने।	विशेष कार्य पदाधिकारी गोपनीय शाखा
5	पावर सब स्टेशन के लिए भूमि की आवश्यकता	कार्यालयक अभियंता विद्युत परियोजना द्वारा बताया गया कि 4 पावर सब स्टेशन के लिए भूमि अर्जित की जानी है। भरसा (परबत्ता) के जमीन पर विवाद है। अंचलाधिकारी चौथम द्वारा हरदिया में जमीन खोजी गयी है एवं 21.07.17 तक प्रस्ताव भेजने की बात कही गयी है। वीरवास (गोगरी) के संबंध में कार्यालयक अभियंता ने बताया कि वीरवास के स्थान पर पैकाट में जमीन खोजा गया है एवं अंचल अधिकारी द्वारा प्रस्ताव भूमि सुधार उप समाहर्ता, गोगरी को भेजा गया है। बेलदौर प्रखंड के सकोरहर में एक जमीन खोजी गयी है परन्तु प्रस्ताव नहीं भेजा गया है। प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा को निदेश दिया गया कि संबंधित अंचलाधिकारियों को कार्य में तेजी लाने हेतु निर्देशित करें।	प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा/विद्युत कार्यालयक अभियंता (परियोजना)
6	SSA अन्तर्गत विद्यालयों हेतु भूमि की आवश्यकता	गत बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, खगड़िया के द्वारा बताया गया कि 09 विद्यालय (खगड़िया-1, मानसी-1, चौथम-4 एवं गोगरी-3) के लिए जमीन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। जिला शिक्षा पदाधिकारी, खगड़िया को निदेश दिया गया था कि संबंधित Location के साथ प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें। लेकिन अभी तक जिला शिक्षा पदाधिकारी, खगड़िया से प्रतिवेदन अप्राप्त है। साथ ही अपर समाहर्ता, खगड़िया को निदेश दिया गया कि इस विषय को जिला राजस्व की बैठक के एजेंडा में शामिल करेंगे।	अपर समाहर्ता/जिला शिक्षा पदा0/जिला कार्यक्रम पदा0, SSA /संबंधित अंचलाधिकारी

7	NPS पर Database updation (राजस्व)	प्रभारी पदाधिकारी, जनगणना द्वारा बताया गया कि 98 प्रतिशत कार्य हो चुका है। उन्हें निर्देशित किया गया कि बचे हुये कार्य को अविलम्ब पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।	प्रभारी पदाधिकारी जनगणना कोषांग, खगड़िया
8	GP, DP, IPPPE 2 की डाटा इन्ट्री	गत बैठक में उप विकास आयुक्त, खगड़िया को निर्देश दिया गया था कि विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त करें कि डाटा इन्ट्री करना है अथवा नहीं? यदि नहीं कराना है तो इसे बन्द किया जाए। उप विकास आयुक्त, खगड़िया द्वारा बताया गया कि विभाग से निर्देश मांगा गया था, लेकिन अभी तक कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है इसलिए कार्य अभी बंद है।	उप विकास आयुक्त, खगड़िया
9	जीविका क्रेडिट लिंकेज व Disbursement rate	डी0पी0एम0 (जीविका), खगड़िया को निर्देश दिया गया कि उनके यहाँ जो भी कार्यक्रम चल रहा है। उसके संबंध में कार्यक्रम योजनावार विस्तृत प्रतिवेदन अगली बैठक में प्रस्तुत करेंगे।	डी0पी0एम0 जीविका, खगड़िया
10	पेंशनधारियों का खाता व आधार सीडिंग	सहायक निदेशक, बाल संरक्षण इकाई-सह-सामाजिक सुरक्षा कोषांग, खगड़िया के अनुपस्थित रहने के कारण प्रगति की समीक्षा नहीं की जा सकी। उन्हें निर्देश दिया जाता है कि अनुपस्थिति के लिए अपना स्पष्टीकरण अविलम्ब भेजना सुनिश्चित करें।	सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग, खगड़िया
11	डीजल अनुदान का UC	जिला कृषि पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा बताया गया कि डीजल अनुदान से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को भेज दिया गया था। लेकिन सुधार के लिए पुनः वापस आया है उसे सुधार हेतु भेजा गया है।	जिला कृषि पदाधिकारी, खगड़िया
12	AC/DC बिल व UC की विशेष समीक्षा (सभी पदाधिकारी)	सभी कार्यालय प्रधान को निर्देश दिया गया कि लंबित ए0सी0 विपत्र का डी0सी0 विपत्र तैयार कर शीघ्र समायोजन कराना सुनिश्चित करें। कोषांगार पदाधिकारी, खगड़िया को निर्देश दिया गया कि वे अद्यतन स्थिति के साथ अगली बैठक में उपस्थित रहेंगे।	अपर समाहर्ता / कोषांगार पदाधिकारी / सभी संबंधित कार्यालय प्रधान
13	पुनर्वास के लंबित मामलों की समीक्षा, CO से प्रस्ताव लंबित	गत बैठक में प्रभारी पदाधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन शाखा, खगड़िया को निर्देश दिया गया कि पुनर्वास के मामले शीघ्र निष्पादन करना सुनिश्चित करेंगे।	प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन शाखा, खगड़िया
14	स्टेशन रोड व अन्य स्थलों से अतिक्रमण हटाना	अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया एवं कार्यालयक पदाधिकारी, नगर परिषद, खगड़िया को निर्देशित किया गया था कि NH 31 से महात्मा गांधी रोड होते हुए बखरी बस स्टैण्ड तक की सड़क तक हटायें गये अतिक्रमण दोबारा-नहीं हो इसे सुनिश्चित करेंगे।	अनुमंडल पदा.0, खगड़िया / कार्यालयक पदा.0, नगर परिषद, खगड़िया / विशेष कार्य पदाधिकारी
15	समूह 'घ' के पदों पर नियुक्ति का मामला	स्थापना उप समाहर्ता, खगड़िया को निर्देश दिया गया कि माननीय उच्च न्यायालय के आलोक में अविलम्ब आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।	स्थापना उप समाहर्ता
16	सीलिंग मामलों की विशेष समीक्षा	प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा, खगड़िया द्वारा बताया गया कि सीलिंग के 250 मामलों में से 77 अभिलेख का गजट सत्यापन हेतु अंचल अधिकारियों को भेजा गया था जिसमें से 14 का सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जो अपूर्ण है। सभी अंचल अधिकारी को पूर्ण प्रतिवेदन भेजने का निर्देश दिया जाता है।	प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा, खगड़िया / सभी अंचल अधिकारी
17	शहर सुरक्षा तटबंध (KTP) हेतु भू-अर्जन की समीक्षा	कार्यालयक अभियंता बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल-2 ने बताया कि विशेष भू अर्जन पदाधिकारी भागलपुर के द्वारा अभी तक कार्रवाई सम्पन्न नहीं हुयी है।	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी / कार्यालयक अभियंता, बाढ़ प्रमंडल-2
18	विभिन्न योजनाओं हेतु आधार, बैंक खाता व मोबाईल सीडिंग	निदेशक, लेखा, डी0आर0डी0ए0 द्वारा बताया गया कि आधार के एजेंसी को कार्ड निर्माण हेतु 13 स्थल उपलब्ध करवाया गया है। परंतु एजेंसी के द्वारा अभी तक मात्र 04 जगह कार्य प्रारंभ किया गया है। उन्हें निर्देश दिया गया कि इसे सभी प्रखंड एवं अनुमंडल में चालू कराना सुनिश्चित करें। साथ ही उन्हें यह भी निर्देश दिया गया कि इस हेतु विहित प्रपत्र प्राप्त हुआ है उसमें आंकड़े के साथ अवलोकनार्थ प्रस्तुत करें। विशेष कार्य पदाधिकारी, गोपनीय शाखा को निर्देश दिया गया कि वे पता करने की उक्त 13 स्थल पर आधार एजेंसी द्वारा कार्य किया जा रहा है अथवा नहीं।	निदेशक, डी0आर0डी0ए0, खगड़िया / विशेष कार्य पदाधिकारी

19	7 थाना भवन /आवासीय भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराना	7 थाना भवन /आवासीय भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्धता के संबंध में प्रधान लिपिक द्वारा बताया गया कि इसमें से बहादुरपुर पीकेट निर्माण के लिए कृषि फार्म की जमीन का प्रस्ताव कृषि विभाग को भेजा गया है। मुफकसिल थाना हेतु अभिलेख भूमि सुधार उप उपसमाहर्ता, खगड़िया से अप्राप्त है। अनुसूचित जाति /जन जाति थाना एवं पीपरपती पिकेट थाना का प्रस्ताव अप्राप्त है। मानसी थाना भवन हेतु विभाग से प्राप्त आवंटन को जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, खगड़िया को उपलब्ध करा दिया गया है। परसहा थाना हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, खगड़िया को अभिलेख आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी गयी है परंतु पुनः उनसे अभिलेख अप्राप्त है। मोरकाही थाना भवन निर्माण हेतु गृह विभाग से अधियाचना के संबंध में पत्र निर्गत किया गया है। निदेश दिया गया कि सभी संबंधित को पुनः स्मार पत्र निर्गत करें।	प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा, खगड़िया
20	विभागीय कार्यवाही के लंबित मामले	विभागीय कार्यवाही के सभी संवाहन पदाधिकारी नियमानुसार सुनवाई पूरी कर अभिलेख अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।	सभी विभागीय प्रधान एवं स्थापना उप समाहर्ता, खगड़िया
21	7 निश्चय की प्रगति की समीक्षा	7 निश्चय से संबंधित सभी संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि प्रतिवेदन निर्धारित तिथि तक नियमित रूप से भेजे ताकि अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन Upload किया जा सके। प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा को निदेश दिया गया कि इजिनियरिंग कॉलेज के लिए अन्य जमीन का प्रस्ताव देना सुनिश्चित करें। आई0टी0आई0, खगड़िया एवं गोगरी के लिए जमीन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।	उप विकास आयुक्त /अपर समाहर्ता /प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा / 7 निश्चय से संबंधित सभी पदाधिकारी
22	गैर मजरूआ आम, खास भूमि की पंजी व विकरणी Score-3	पुष्ठा करने पर जिला अवर निबंधक ने बताया कि जिला भू-अर्जन पदाधिकारी एवं जिला राजस्व शाखा के तत्संबंधी प्रतिवेदन के आधार पर ही निबंधन कार्य किया जा रहा है।	जिला अवर निबंधक, खगड़िया
23	विधान मंडल के लंबित उत्तर (आपदा व अन्य)	समीक्षा में लंबित विधान मंडल प्रश्नों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी- 1. जिला राजस्व शाखा-06 2. जिला योजना कार्यालय-03 3. आपदा प्रबंधन शाखा-03 4. जिला आपूर्ति शाखा-01 5. जिला पंचायती राज कार्यालय-02 6. जिला विकास शाखा-01 7. नगर परिषद्, खगड़िया-02 जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि लंबित तीनों प्रश्नों का उत्तर भेज दिया गया है। उन्हें निदेश दिया गया कि भेजे गये उत्तर की प्रति उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। सभी संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि विधान सभा के प्रश्नों का उत्तर एक सप्ताह के अन्दर भेजते हुए लंबित को शून्य करना सुनिश्चित करें। कार्यालय अधीक्षक को भी निदेश दिया गया कि इसे अनुश्रवण करें एवं प्रतिदिन सूची को अद्यतन कर स्थिति से अवगत करायेंगे।	सभी संबंधित पदाधिकारी /कार्यालय अधीक्षक, खगड़िया

24	पशुगणना	<p>जिला पशुपालन पदाधिकारी के प्रतिनिधि ने बताया कि 2. 4 एवं 6 मार्च 2017 को प्राणक एवं पर्यवेक्षक का प्रशिक्षण दिया गया है तथा 17 जुलाई से पशुगणना का कार्य होना था, परन्तु विभाग द्वारा इस संबंध में नया निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने यह भी बताया कि पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के अन्तर्गत सोसाईटी हो चुका है। उन्हें निदेश दिया गया की अनुमंडल सोसाईटी का गठन भी अविलम्ब करना सुनिश्चित करेंगे।</p> <p>पृच्छा पर जिला पशुपालन पदाधिकारी के प्रतिनिधि ने बताया कि बाढ़ आपदा के पशुचारा आदि के लिए टेन्डर प्रकाशित किया गया था परन्तु कोई निविदा प्राप्त नहीं हुयी है। उन्हें निदेश दिया गया प्रमंडलीय आयुक्त से प्रमंडल के अन्य जिला में हुए दर निर्धारण के संबंध में जानकारी हेतु पत्र लिखें।</p>	जिला पशुपालन पदाधिकारी, खगड़िया
25	स्वास्थ्य विभाग के परिसरों को अतिक्रमण मुक्त कराना	<p>तीन माह से बन्नी स्वास्थ्य उपकेन्द्र परिसर के अतिक्रमण को मुक्त करने का निदेश अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी / अंचल अधिकारी, गोगरी को दिया जाता रहा है। सिविल सर्जन को निदेश दिया गया कि इस संबंध में अद्यतन स्थिति से अगली बैठक में अवगत करायेंगे।</p>	अपर समाहर्ता / सिविल सर्जन / अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी
26	महादलित सामुदायिक भवन-सह-वर्क श्रेड निर्माण	<p>जिला कल्याण पदाधिकारी, खगड़िया ने बताया कि 36 में से 33 महादलित सामुदायिक भवन-सह-वर्क श्रेड का निर्माण किया जा चुका है एवं 03 लंबित है। 03 लंबित योजना में छत ढलाई का कार्य चल रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि पूर्व के सभी उपयोगिता प्रमाण-पत्र विभाग को भेज दिया गया एवं हाल के आवंटन के राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र तैयार किया जा रहा है। उन्हें निदेश दिया गया कि जो सामुदायिक भवन-सह-श्रेड का निर्माण हो चुका है उसकी स्वयं जांच कर प्रतिवेदन समर्पित करें एवं अपूर्ण योजना को शीघ्र पूर्ण करायें एवं शेष बचे उपयोगिता प्रमाण-पत्र को भी विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।</p>	जिला कल्याण पदा10
27	DAY-NULM अन्तर्गत आश्रय स्थल निर्माण	<p>गत बैठक में कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, खगड़िया द्वारा बताया गया था कि बटुआही बस पड़ाव के पीछे आश्रय स्थल का निर्माण कार्य चल रहा है। इसे शीघ्र पूरा कराने एवं इसके रख-रखाव के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश नगर परिषद के कनीय अभियंता को दिया गया।</p> <p>समीक्षा के क्रम में पाया गया कि मानवाधिकार एवं लोकायुक्त से संबंधित मामले निम्न पदाधिकारियों के यहाँ लंबित है, जो इस प्रकार है :-</p> <p>मानवाधिकार कोषांग :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. पुलिस अधीक्षक, खगड़िया-01 2. अपर समाहर्ता, खगड़िया-01 3. अपर समाहर्ता-सह-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी-01 4. जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खगड़िया-01 5. अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया-05 6. अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी-07 7. भूमि सुधार उप समाहर्ता, गोगरी-01 8. अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, खगड़िया-01 9. जिला शिक्षा पदाधिकारी, खगड़िया-01 <p>लोकायुक्त कोषांग :-</p> <p>प्रतिवेदन हेतु कोई मामला लंबित नहीं है। सभी संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि लंबित मामलों की जांच कर एक सप्ताह के अन्दर प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें।</p>	कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, खगड़िया
28	लोक सूचना, लोकायुक्त व मानवाधिकार के मामले		सभी संबंधित पदाधिकारी

29	जल निकायों को अतिक्रमण मुक्त कराना जल निकाय संरक्षण	प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा, खगड़िया द्वारा बताया गया था कि 263 जल निकायों में 56 अतिक्रमित हैं इसमें से 29 में अतिक्रमण वाद चल रहा है। 12 में जमाबंदी रद्दीकरण का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। 15 को अतिक्रमण मुक्त कर दिया है। शेष पर कार्रवाई की जा रही है। निदेश दिया गया कि शेष सभी अतिक्रमण पर भी वाद कायम कर आदेश परित करना सुनिश्चित करें। साथ ही प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व को निदेश दिया गया कि रवाई प्रकृति के अतिक्रमण नियमानुसार हटाने का निदेश सभी अंचल अधिकारी को दें।	अपर समाहर्ता, खगड़िया / प्रभारी पदाधिकारी राजस्व शाखा
30	पंचायत व ग्रामीण विकास योजनाओं का UC	गत बैठक में उप विकास आयुक्त, खगड़िया द्वारा बताया गया था कि उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेज दिया गया है। जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने बताया की 7 करोड़ रुपये का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विभाग को भेजा गया है परन्तु सभी का समायोजन होकर नहीं आया है। जिला पंचायत पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि लबित सभी उपयोगिता प्रमाण-पत्र को भजना सुनिश्चित करेंगे।	जिला पंचायती राज पदाधिकारी, खगड़िया
31	पंचायत सरकार भवन को कार्यान्वित करना	गत बैठक में जिला पंचायती राज पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि इस जिला में 22 पंचायत सरकार भवन स्वीकृत हैं जिसमें से 19 में निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है एवं 14 पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के द्वारा 10 पंचायत सरकार भवन ग्राम पंचायत के हस्तांतरित दिखाया जा रहा है, परन्तु विधिवत् हस्तान्तरण ग्राम पंचायत को नहीं कराया गया है। कार्यपालक अभियंता स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन को निदेश दिया गया कि पूर्ण किये गये पंचायत सरकार भवन को विधिवत् ग्राम पंचायत को हस्तान्तरण करना सुनिश्चित करें। काफ़ी दिन पूर्व ही उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, खगड़िया को निदेश दिया गया है कि पंचायत सरकार भवन के उपस्कर हेतु सरकार से प्राप्त आवंटन को संबंधित ग्राम पंचायत को नियमानुसार उपस्कर क्रय हेतु राशि उपलब्ध करा दिया जाय। परन्तु इस संबंध में अद्यतन प्रतिवेदन उनसे अप्राप्त है। विशेष कार्य पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि इस संबंध में कार्रवाई संबंधी अद्यतन प्रतिवेदन देने हेतु अथाहस्ताक्षरी के स्तर से उन्हें पत्र निर्गत किया जाय।	उप विकास आयुक्त / जिला पंचायती राज पदा० / जिला योजना पदा० / विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, खगड़िया / कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन
32	मुख्यमंत्री निश्चय हर घर नल जल	समीक्षा के क्रम में कार्यपालक अभियंता, पी०एच०ई०डी० द्वारा बताया गया कि विभाग में जो बैठक हुई है उसकी जानकारी के अनुसार आर्सेनिक एवं क्लोराईड प्रभावित क्षेत्र के बसावट में ही पी०एच०ई०डी० द्वारा कार्य किया जाना है तथा इसके अलावे अन्य पंचायत अथवा बसावटों में संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा कार्य कराया जाना है। विभाग द्वारा इसके लिए एजेंसी का चयन किया जा रहा है। इस संबंध में कोई अधिकारिक पत्र विभाग द्वारा निर्गत नहीं हुआ है। कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि आर्सेनिक एवं क्लोराईड बसावट की सूची 5 दिनों के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, खगड़िया
33	मुख्यमंत्री निश्चय गली नाली	गत बैठक में जिला पंचायती राज पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा बताया गया कि गामीण क्षेत्रों के लिए 85 योजनाओं का प्रावकलन बनाया गया है। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, खगड़िया ने भी बताया कि नगर खगड़िया में 22 योजनाओं में कार्य चल रहा है। उन्हें निदेश दिया गया कि कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। जिला पंचायती राज पदाधिकारी, खगड़िया के पटना विभागीय बैठक में रहने के कारण इसकी समीक्षा नहीं की जा सकी।	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, खगड़िया / कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, खगड़िया
34	गोविन्दपुर पंचायत संबंधी जांच	बैठक में उप विकास आयुक्त द्वारा बताया गया कि अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी से अविनाश जांच कर प्रतिवेदन देने का निदेश दिया गया था परन्तु उनसे जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। उप विकास आयुक्त को निदेश दिया गया कि अनुमंडल पदाधिकारी से जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें।	उप विकास आयुक्त, खगड़िया

35	छात्रवृत्ति की जांच	समीक्षा के क्रम में पाया गया कि छात्रवृत्ति की जांच हेतु उप विकास आयुक्त, जिला परिवहन पदाधिकारी एवं श्री मुकेश कुमार सिन्हा, वरीय उप समाहर्ता, खगड़िया की त्रिसदस्यीय जांच कमिटी गठित की गयी है। जांच कमिटी से प्रतिवेदन अप्राप्त है। जांच कमिटी से संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि इस सप्ताह में जांच प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें।	उप विकास आयुक्त / जिला परिवहन पदाधिकारी / श्री मुकेश कुमार सिन्हा, वरीय उप समाहर्ता / जिला कल्याण पदाधिकारी
36	आधार सिडिंग PDS, MNREGA, छात्रवृत्ति	गत बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा बताया गया था कि पी0डी0एस0 अन्तर्गत आर0सी0 के तहत 50 प्रतिशत से अधिक कार्य हो चुका है। मनरेगा अन्तर्गत 49 प्रतिशत आधार सिडिंग का कार्य हुआ है। इसमें तेजी लाने का निदेश दिया गया।	निदेशक, DRDA, खगड़िया एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खगड़िया / सभी प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी
37	गजेटियर	गजेटियर की तैयारी हेतु समिति गठित करने तथा गजेटियर बनाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया था। समीक्षा में पाया गया कि जिला के सभी कार्यालय प्रधान को गजेटियर संबंधी पत्र की प्रति उपलब्ध करा दी गयी है एवं मात्र 12 पदाधिकारी से प्रपत्र में गजेटियर प्राप्त हुआ है। सभी कार्यालय प्रधान को भी निर्दिष्ट किया गया कि अपने विभाग से संबंधित गजेटियर विहित प्रपत्र में तैयार कर इस माह के अंत तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	उप विकास आयुक्त, खगड़िया / सभी कार्यालय प्रधान

सभी प्रखंड के वरीय प्रभारी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि सप्ताह में एक दिन वे आवंटित प्रखंड में जाकर विभिन्न योजनाओं / कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे एवं उसकी कार्यवाही भेजना सुनिश्चित करेंगे। खेद का विषय है कि किसी भी पदाधिकारी द्वारा कोई प्रतिवेदन नहीं भेजा गया है। उन्हें अनुपालन करने का निदेश दिया गया।

सभी प्रखंड के वरीय प्रभारी पदाधिकारी को यह भी निदेश दिया गया कि वे अपने प्रखंड में स्थापित आधार केन्द्र का निरीक्षण कर प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।

(अनुपालन-सभी प्रखंड के प्रभारी वरीय पदाधिकारी)

मानसी प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय हेतु भूमि की उपलब्धता

प्रभारी पदाधिकारी जिला राजस्व शाखा को निदेश दिया जाता है कि अंचलाधिकारी, मानसी से जमीन संबंधी प्रस्ताव प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन : प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा, खगड़िया)

आर्य कन्या उच्च विद्यालय संबंधी विवाद :-

जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि इस संबंध में निदेशक माध्यमिक शिक्षा को लिखे गये पत्र के संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है इसकी जानकारी प्राप्त कर प्रतिवेदित करें। प्रभारी पदाधिकारी, विधि शाखा को निदेश दिया जाता है कि इस विद्यालय के विवाद संबंधी मामले में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार, पटना को लिखे गये पत्र में स्मार पत्र निर्गत कर कृत कार्रवाई की जानकारी प्राप्त करने हेतु पत्र का प्रारूप उपस्थापित किया जाय।

(अनुपालन : प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा)

भू विवाद :-

अंचलाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि हर शनिवार को भानाध्यक्ष एवं अंचल अधिकारी संयुक्त रूप से भू-विवादों के संबंध में बैठक करें एवं उसकी कार्यवाही अपलोड करें। प्रभारी पदाधिकारी जिला राजस्व शाखा को इस पर ध्यान रखने एवं अनुश्रवण करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन : प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा / सभी अंचलाधिकारी)

क्रियात पत्रों की पंजी :-

गत बैठक में सभी कार्यालय प्रधान को निदेश दिया गया था कि अपने-अपने कार्यालय में शिकायत पंजी का संधारण कराये एवं उक्त पंजी में उनके कार्यालय में सीधे प्राप्त शिकायत पत्र के साथ-साथ जिलाधिकारी के कार्यालय से प्राप्त होने वाले शिकायत पत्रों को भी दर्ज कर उस पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें। समीक्षा के क्रम में सभी कार्यालय प्रधान द्वारा बताया गया कि शिकायत पत्रों की पंजी संधारित है एवं अपेक्षित कार्रवाई की जा रही है। बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि अगली बैठक से अपने-अपने शाखा/विभाग से संबंधित शिकायत पंजी की छायाप्रति के साथ भाग लेना सुनिश्चित करेंगे।

कब्रिस्तान एवं मंदिर की घेराबंदी

(अनुपालन : जिला के सभी कार्यालय प्रधान)

जिला योजना पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि कब्रिस्तान एवं मंदिर की घेरा बंदी हेतु अंचलों से प्राप्त सूची की प्राथमिकता तय करें। साथ ही सभी अनुमंडल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि अपने अनुमंडल अन्तर्गत पडने वाले अंचल द्वारा प्रेषित एतदसंबंधी सूची की जांच कर प्राथमिकता निर्धारित कर सूची जिला योजना कार्यालय को अविलम्ब भेजना सुनिश्चित करें।

प्रमादी मिलर विरुद्ध कार्रवाई :-

(अनुपालन : सभी अनुमंडल पदाधिकारी/जिला योजना पदाधिकारी, खगड़िया)

जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, खगड़िया को निदेश दिया गया कि प्रमादी मिलर के विरुद्ध अविलम्ब कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

धान की अधिप्राप्ति

(अनुपालन : जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, खगड़िया)

जिला सहकारिता पदाधिकारी के बैठक में अनुपस्थित रहने के कारण इस विषय की समीक्षा नहीं की जा सकी। उन्हें निदेश दिया जाता है कि बैठक में अनुपस्थिति के संदर्भ में अपना स्पष्टीकरण अविलम्ब समर्पित करेंगे।

अवैध राशन कार्डधारियों से वसूली :-

अनुपालन-जिला सहकारिता पदाधिकारी)

अनुमंडल पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि अवैध राशन कार्ड धारियों से वसूली सुनिश्चित करें।

अवैध पेंशन धारकों से वसूली :-

(अनुपालन : सभी अनुमंडल पदाधिकारी)

अनुमंडल पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि अवैध पेंशन धारकों से वसूली सुनिश्चित करें।

फसल व गृह क्षति सहित आपदा की राशि :-

(अनुपालन : सभी अनुमंडल पदाधिकारी)

जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया गया कि सभी योग्य लाभुक को फसल क्षति की राशि उनके खाता में हस्तान्तरण हेतु बैंक को एडवार्ड्स भेजा जा चुका है एवं बैंक द्वारा राशि खाना में हस्तान्तरण करने की कार्रवाई की जा रही है। उन्हें निदेश दिया गया कि शीघ्र सभी लाभुकों को राशि उनके खाता में भेजवाना सुनिश्चित करें। प्रभासी पदाधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन ने बताया कि गृह क्षति भुआवाजा की राशि संबंधित अंचलाधिकारी के द्वारा वितरण किया जा रहा है। उन्हें निदेश दिया गया कि अविलम्ब लाभुक को राशि उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

साथ ही उन्हें यह भी निदेश दिया गया कि जिन लाभुक को फसल क्षति की राशि का भुगतान नहीं किया गया है उसकी सूची उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन : जिला कृषि पदाधिकारी, खगड़िया।)

सभी अनुमंडल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि फसल क्षति वितरण की जांच कर प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन-सभी अनुमंडल पदाधिकारी)

प्रभासी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन को निदेश दिया गया कि गृह क्षति सहित आपदा की राशि की निकासी एवं वितरण के संबंध में अलग से अंचल अधिकारियों के साथ बैठक करना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन : प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन, खगड़िया I)
प्रभारी पदाधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन शाखा को निदेश दिया गया कि जिला के प्रमुख घाटों जहाँ नाव का परिवालन होता है वहाँ नाव परिवालन अवधि में सुरक्षा के दृष्टिकोण से चौकीदारों की प्रतिनियुक्ति हेतु अथाहरस्ताक्षरों के हस्ताक्षर से पुलिस अधीक्षक खगड़िया को पत्र निर्गत करना सुनिश्चित करें। उन्हें यह भी निदेशित किया गया कि विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रतिवेदनों को कम्प्यूटर में इन्प्री करना सुनिश्चित करायें।

(अनुपालन : प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन, खगड़िया II)

लोक शिकायत के मामले :-

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के द्वारा पारित आदेश का अनुपालन की स्थिति अच्छी नहीं है। सभी कार्यालय प्रधान/लोक प्राधिकार को निदेश दिया गया कि लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के द्वारा पारित आदेश का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

निदेश दिया गया कि आज की बैठक में जो पदाधिकारी अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं उनसे स्पष्टीकरण की मांग करें।

(अनुपालन-सभी कार्यालय प्रधान/लोक प्राधिकार)
विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा)

जिलाधिकारी,
खगड़िया

ज्ञापक : 1656 / गो. दिनांक

29/07/2015

प्रतिलिपि : सभी संबंधित पदाधिकारियों/कोषागार पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनाई एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना-विज्ञान अधिकारी, खगड़िया/जिला आईटीओ प्रबंधक, खगड़िया को सूचनाई तथा संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल भेजने एवं वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी,
खगड़िया